भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †590

उत्तर देने की तारीख- 28/11/2024

गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

†590. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में विशेषकर दाहोद जिले में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कोई परियोजना/कार्यक्रम/कल्याण योजना कार्यान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जनजातियों की स्थिति और संख्या का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो देश के अन्य जनजातीय बहुल जिलों में जनजातियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उनके सर्वांगीण विकास के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): सरकार जनजातियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास की रणनीति के रूप में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) (जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय गुजरात सहित देश भर में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय शोध संस्थानों को सहायता" की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्य/संघ शासितप्रदेशों को राज्य जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायताप्रदान कर रहा है। ये राज्य जनजातीय शोध संस्थान जनजातीय सांस्कृतिक विरासत पर शोध अध्ययन/पुस्तकोंका प्रकाशन/दस्तावेजीकरण करते हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा कि

ए गये शोध अध्ययनों के क्षेत्र मेंजनजातीय परंपराएँ और विभिन्नसामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएँ शामिल हैं, जो विशेष जनजातीय समुदायों की विशेषता हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तीसरे पक्ष के माध्यम से अपनी योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करवाया है। मूल्यांकन रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ देश में जनजातीय समुदायों की स्थिति का संकेत दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय अजजा की स्थिति का आकलन करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित जनगणना, प्रबंधन सूचना प्रणाली और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों से संबंधित डेटा का उपयोग करता है। डेटा से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के संबंध में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार दर्ज किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) में फैली हुई हैं।

(घ) से (च): स्थापित निगरानी तंत्र का विवरण निम्नानुसार है: -

i. योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनराशि जारी की जाती है।
ii. जीएफआर के मानदंडों के अनुसार धनराशि को आगे जारी करने के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में उपयोग प्रमाणपत्र पर जोर दिया जाता है।
iii. योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
iv. अधिकारी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करते समय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का भी पता लगाते हैं।
v. प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने, योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
vi. समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से योजना/कार्यक्रम-वार प्रगति और निधियों के उपयोग की निगरानी भी की जाती है।
vii. मिशन की उपाय-वार या मंत्रालय-वार प्रगति की नियमित निगरानी के लिए, पीएम जनमन के तहत पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मंत्रालय-वार इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं।
viii. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बाध्य मंत्रालयों/विभागों की जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)/अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधियों की निगरानी के लिए वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एसटीसी एमआईएस पोर्टल विकसित किया है।
ix. इसके अलावा, समय-समय पर योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

अनुलग्नक

"गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं" के संबंध में श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †590 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित

अनुलग्नक

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

i. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान:** माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है।

ii. **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को संतृप्त करना है।

iii. **प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं, यानी, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्य मसे डिजाइन किया गया है।

इस योजना में चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष एमएफपी मद के मौजूदा बाजार मूल्य के निर्धारित एमएसपी से नीचे गिरने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन संचालन नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि टिकाऊ संग्रह, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास, एमएफपी के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) वर्ष 1997-98 में केवल अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठा सकें और सरकारी तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकें। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने

घोषणा की कि 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 अजजा व्यक्तियों वाला प्रत्येक ब्लॉक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए पात्र होगा। कुल 740 ईएमआरएस स्थापित किए जाने हैं। एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होंगे और इनमें खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में अवसंरचना गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

vi. **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, मोबाइल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, आजीविका आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

vii. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX-X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों के लिए 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है, जहां यह 90:10 है। बिना विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

viii. **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है, जहां यह 90:10 है। बिना विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: इस योजना के तहत चयनित छात्रों को विदेश में पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हर साल

कुल 20 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियाँ अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता/परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अजजा छात्रों को मंत्रालय द्वारा पहचाने गए देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन शुल्क, रहने का खर्च और किताबों और कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी के लिए उच्च अध्ययन करने के लिए अजजा छात्रों को हर साल 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि जहां पहले से टीआरआई मौजूद नहीं हैं, वहां नए टीआरआई स्थापित किए जा सकें और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को मजबूत किया जा सके ताकि अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि की दिशा में अपने मुख्य उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, राज्य के अन्य भागों में जनजातियों के लिए आदान-प्रदान दौरे, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

*****